न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 998–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.1.12 पारित द्वारा तहसीलदार, सिंगरौली प्रकरण कमांक 20/अ–12/2011–12.

1– रामचन्द्र शाह तनय श्री कंचन शा.
2– लोकई शाह तनय श्री जयमंग शाह
दोनों निवासी ग्राम गहिलगढ़ पश्चिम
तहसील व जिला सिंगरोली म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुनिब गुप्ता पिता नथई गुप्ता
सा. घडिया मौजा गहिलगढ़ पश्चिम
तहसील व जिला सिंगरोली म.प्र.

2– म.प्र. शासन ——— आवेदक

श्री अरूण साहू, अधिवक्ता आवेदकगण.
अनिल पाण्डेय, अधिवक्ता अनावेदक क. 1.

:: आदेश ::

(आज दिनांक २२ जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, सिंगरौली के प्रकरण कमांक 20/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13–1–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आराजी सर्वे नं. 3/7 रकबा 0.126 हैक्टर स्थित मौजा गहिलगढ़ पश्चिम तहसील व जिला सिंगरौली के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को प्रतिवेदन पेश करने के आदेश दिए । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान आवेदकों द्वारा आपत्ति पेश की गई । तहसीलदार ने विचारोपरांत आलोच्य आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करते हुए

आवेदको की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3— आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क्र. 1 को पूर्व भूमिस्वामी द्वारा जो भूमि का विक्रयपत्र किया गया है उसमें भूमि की चौहद्दी त्रुटिपूर्ण बताई गई है । विक्रय शुदा भूमि आवेदकों की है जिस पर उनके पूर्व से मकान बने हैं । आवेदकों ने इस संबंध में नामांतरण में भी आपत्ति की गई जिसे अमान्य किए जाने पर उन्होंने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की है जो अभी लंबित है । जो सीमांकन किया गया है वह आवेदको को बिना सूचना दिए किया गया एवं उस पर आवेदकों ने आपत्ति की जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

अनावेदक क्र. 1 द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें सरहदी काश्तकारों के स्थान पर आवेदकों को नहीं दशाया गया जबकि आवेदकगण आवश्यक व हितधारी व्यक्ति थे जिन्हें बिना सूचना दिए किया गया सीमांकन त्रुटिपूर्ण है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4— अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है । आवेदकों द्वारा की गई आपत्ति निराधार है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है जो अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की जो कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण में संलग्न सूचनापत्र में 5 व्यक्तियों को सूचनापत्र जारी किये जाने का उल्लेख है किंतु इस पर मात्र एक व्यक्ति के हस्ताक्षर है यह हस्ताक्षर किसके हैं वह भी स्पष्ट नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकों की आपत्ति को निरस्त किए जाने के कोई कारण अपने आदेश में नहीं दिए हैं । ऐसी स्थिति मे इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह पुष्टि योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते है एवं प्रकरण उन्हें इस निदेश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में सभी सरहदी काश्तकारो को विधिवत सूचना देते हुए उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर सीमांकन की कार्यवाही विधिवत करे । निगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर